मॉन्सेंटो और ब्राज़ील के किसान

ऐसा लग रहा है कि जैव टेक्नॉलॉजी कंपनी मॉन्सेंटो को जिनेटिक रूप से परिवर्तित (जीएम) सोयाबीन की अपनी कमाई का काफी बड़ा हिस्सा ब्राज़ील के किसानों को लौटाना पड़ेगा। मॉन्सेंटो ने यह मुनाफा एक कीटनाशक राउंड-अप को सहने की क्षमता वाले (राउंड-अप रेडी) सोयाबीन से कमाया था।

ब्राज़ील दुनिया में जीएम फसलें उगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां करीब 3 करोड़ हैक्टर पर जीएम फसलें उगाई जाती हैं। दरअसल ब्राज़ील ने जीएम फसलों को तब अनुमति दे दी थी जब यह पता चला था कि वैसे भी देश के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रांडे डो सुल में अधिकांश सोयाबीन फसल में जीएम के बीजों की मिलावट हो चुकी है। यह मिलावट पड़ोसी अर्जेंटाइना से तस्करी के ज़रिए आए बीजों के चलते हुई थी। सोयाबीन की यह फसल खरपतवारनाशी ग्लायफोसेट की प्रतिरोधी है। लिहाज़ा किसान अपनी सोयाबीन फसल पर इस खरपतवारनाशी का भरपूर उपयोग निश्चिंत होकर कर सकते हैं।

ब्राज़ील सरकार द्वारा राउंड-अप रेडी सोयाबीन को कानूनी दर्ज़ा दिए जाने के बाद से ही मॉन्सेंटो वहां के किसानों से उनकी राउंड-अप रेडी फसल के मूल्य का 2 प्रतिशत वसूल करती आई है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल राउंड-अप रेडी सोयाबीन ब्राज़ील के कुल सोयाबीन उत्पादन का 85 प्रतिशत होती है। कंपनी उन फसलों की भी जांच करती है जिन्हें गैर-जीएम के रूप में बेचा जाता है। यदि वे जीएम किस्म की पाई जाती हैं तो कंपनी 3 प्रतिशत की वसूली करती है।

अलबत्ता, 2009 में रियो ग्रांडे डो सुल के किसानों के एक संगठन ने इस वसूली को चुनौती दी। संगठन ने दलील दी कि यह वसूली उनके कारोबार पर एक अनुचित टैक्स है। कारण यह है कि राउंड-अप रेडी सोयाबीन को सामान्य सोयाबीन से अलग रखना असंभव है। दूसरी ओर, मॉन्सेंटो का कहना है कि ब्राज़ील के किसान अर्जेंटाइना से चोरी-छिपे जीएम बीज लाकर उसका उपयोग करते हैं और इसकी वजह से कंपनी का नुकसान होता है और वह इस नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में यह वसूली कर रही है।

बहरहाल, ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ सीड्स एंड सीडलिंग्स का कहना है कि ब्राज़ील के 70 प्रतिशत सोया किसान जीएम बीज वैध तरीकों से खरीदते हैं।

मुकदमा अदालत तक पहुंचा है। अप्रैल 2009 में रियो ग्रांडे डो सुल की अदालत ने फैसला दिया कि मॉन्सेंटो द्वारा की जा रही वसूली गैर-कानूनी है। अदालत ने पाया कि राउंड-अप रेडी सोयाबीन के पेटेंट की अवधि समाप्त हो चुकी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मॉन्सेंटो ने वर्ष 2004 से लेकर आज तक जो 2 अरब डॉलर किसानों से वसूल किए हैं, वह लौटाना होगा।

मॉन्सेंटो ने इस फैसले को ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी ने कहा था कि उक्त संगठन को यह मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है और रियो ग्रांडे डो सुल की अदालत का फैसला उसी प्रांत तक सीमित रहना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि उस अदालत का फैसला सही है और वह पूरे देश पर लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लग रहा है कि मॉन्सेंटो को शायद अरबों डॉलर का भुगतान करना होगा। इसका आगे के अनुसंधान पर क्या असर होगा, यह तो वक्त ही बताएगा क्योंकि ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय और मॉन्सेंटो के बीच अनुसंधान सम्बंधी बड़ी साझेदारी है। ***(स्रोत फीचर्स)***